APP-A
प्राण-1

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत ______________ मुकाम ______________

______________ बनाम ______________

नाम मुकदमा ______________ नं. ______________ सन् ______________

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14-1-17	पत्रावली पेश हुई। दलील वादी उपस्थित। दलील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों, दस्तावेजों व साक्ष्य के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की अभ्यर्थना की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम बजोर I परगना दानपुर बागेश्वर व तहसील [illegible] किये खतौनी में स्थित होकर [illegible] पु० [illegible], 1/3, हरिवल्लभ, दुर्गादत्त पु० [illegible] रामेश्वर पु० [illegible] मु० जशोदा देवी [illegible] 1/3, मु० [illegible] देवी [illegible] 1/3 [illegible] जिसकी तादाद प्रस्तुत [illegible] के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसकी नकल कम्बल 2071 से राजस्व [illegible] जमाबन्दी की नकल [illegible] से होती है. [illegible] पु० [illegible] 2074 [illegible] Ex.1 से होती है. [illegible] 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड पत्र [illegible] के [illegible] 1/3 [illegible] पु० लक्ष्मण [illegible] विक्रय पत्र के द्वारा [illegible] पु० लक्ष्मण [illegible] विक्रय की गयी। जिसकी तादाद प्रस्तुत विक्रय पत्र [illegible] की प्रमाणित प्रतिलिपि Ex.2 से होती [illegible] वाद पत्र में अंकित [illegible] प्रस्तुत दस्तावेजों व [illegible] पु० [illegible] तथ्यों से [illegible] विवादित आराजियात [illegible] 1/3 हिस्सा होकर कब्जे व स्वामित्व [illegible] होने से [illegible] में भी खातेदारी व कब्जे [illegible] जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के [illegible] की आराजियात [illegible] जरिये	

खण्ड अधिकारी

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	द्वारा वादी को बेचान कर (किया) बेचान करने के बाद से ही वादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा चला आ रहा है। जिसकी ताईद वादी के गवाहान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पत्रों से होती है। किन्तु खाता इन्तेकाल नहीं होने से विक्रय शुदा भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होकर प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 के नाम चली आ रही है। [illegible]/13 जिसके कारण वादी को नुकसान है। वादी की खरीद शुदा खसरा नं. 1913 रकबा 12 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित होकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराना चाहता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी स्वयं वाद पत्र को सिद्ध करने में सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। - इति:
	:: आदेश ::
	वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 से 8 के [illegible] हक कायम की जारी की जाती है कि ग्राम बागोर I पटवार हल्का बागोर I तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल खसरा नं. 1913 रकबा 12 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उसी इन्द्राज वास्ते वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे। प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हक कायम की जारी की जाती है कि वह वादी को न तो बेदखल करे, न किसी रूप में दखल देवें। व उपयोग उपभोग करने देवें। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी हो पत्रावली बाद तकमील शामिल की जाकर दफ्तर दाखिल हो

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–225/2016 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89–92ए–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री बदरी पिता लक्ष्मण माली, उम्र बालिग निवासी बागोर तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ——वादी

बनाम

1–श्री हरिवल्लभ पिता बिहारीलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी बागोर तहसील मांडल
2–श्री दुर्गाशंकर पिता बिहारीलाल ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी बागोर तहसील मांडल
3–श्री दिनेश कुमार पिता शभूप्रसाद ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी बागोर तहसील मांडल
4–श्री श्यामलाल पिता शभूप्रसाद ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी बागोर तहसील मांडल
5–श्री बाबूलाल पिता शभूप्रसाद ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी बागोर तहसील मांडल
6–जशोदा बेवा जगदीश चन्द्र ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी बागोर तहसील मांडल
7–श्री गोविन्द पिता राधेश्याम ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी बागौर तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
8–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा
——प्रतिवादीगण

——

वादी की ओर से श्री मुकेश जैन, एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से श्री – एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 24.1.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेशा दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि – और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि – को दी जायें।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बागौर–प्रथम पटवार हल्का बागौर–प्रथम तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी 1913 रकबा 12 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उसी अनुसार भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावें। प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वह वादी को न तो

उपखण्ड अधिकारी
मांडल

बेदखल करे, न किसी अन्य से करावें। तथा शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(देवीसिंह रावत)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 24.1.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी

उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा